

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16 जुलाई, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के उप चुनाव, के लिये मतदान दिनांक 25.07.2021 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होंगे।

अतः निर्वाचन क्षेत्रों से लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। पंच/सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी जो देर रात्रि तक जारी रह सकती है। ऐसी स्थिति में पंच/सरपंच की मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 23.07.2021 को सायं 5.30 बजे से दिनांक 25.07.2021 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

W. S. Singh

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 3272

दिनांक: 20.07.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

W. S. Singh
उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग